

## बिहार सरकार

## श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

## बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

## आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, नवादा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु कुल राशि रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि     | आश्रित का नाम (संबन्ध)/ दावेदार/ आधार संख्या | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक | पता/मोबाईल नं०                                                     | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि        | मृत्यु/ निःशक्तता का घोर, कार्य की प्रकृति   |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1       | 2                                                    | 3                                            | 4                               | 5                                                                  | 6                          | 7                                 | 8                             | 9                                            |
| 01      | स्व० उमेश राजवार, 44, रामेश्वर राजवार, अनुसूचित जाति | ललिता देवी, (पत्नी)                          | 732, 06.06. 2026                | ग्रा०-मेयापुर, पो०-पचगाँवा, प्रखण्ड-अकबरपुर, जिला-नवादा 7739602641 | 4560182 1000756 8          | BOI, BKID0 004560                 | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर               |
| 02      | स्व० प्रमोद राम, 57, रामेश्वर राम, अनुसूचित जाति     | सरोज देवी, (पत्नी)                           | 734, 06.06. 2026                | ग्रा०+पो०-तारगीर, प्रखण्ड-रजौली, जिला-नवादा 8271194063             | 0091103 12312              | IPPB, IPOS00 00001                | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर               |
| 03      | स्व० विनोद चौधरी, 53, भन्तु चौधरी, अनुसूचित जाति     | आशा देवी, (पत्नी)                            | 787, 17.06. 2026                | ग्रा०-बिसिआईत, पो०+प्रखण्ड-मैसकौर, जिला-नवादा 9262848085           | 1739000 1001202 39         | PNB, PUNB0 173900                 | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर      |
| 04      | श्री अशोक चौधरी, 31, कृष्णा चौधरी, अनुसूचित जाति     | श्री अशोक चौधरी, (स्वयं)                     | 788, 17.06. 2026                | ग्रा०+पो०-मिर्जापुर, प्रखण्ड-मैसकौर, जिला-नवादा 9771705113         | 7293070 0134497            | BGB, PUNB0 MBGB 06                | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्थायी आशिक निःशक्तता, राजमिस्त्री का हेल्पर |
| 05      | स्व० सत्यम कुमार, 28, दिलीप पासवान, अनुसूचित जाति    | गीता देवी, (पत्नी)                           | 821, 23.06. 2026                | ग्रा०-गोतरायन, पो०+था०+प्रखण्ड-नारदीगाँज, जिला-नवादा 8406046531    | 2727000 1001046 08         | PNB, PUNB0 272700                 | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर               |

कुल :- रु० 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से “बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011” के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-50/2026(अंश-‘क’) -1118

पटना, दिनांक :- 21/08/2026

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18/08/2026  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक